

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून : दिनांक: 29 अप्रैल, 2019

विषय:—वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2235 के अन्तर्गत विभिन्न मदों में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2002/सै.क./बजट आवंटन/राजस्व/2019-20, दिनांक 12 अप्रैल, 2018 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/3(150)-2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में सैनिक कल्याण विभाग से संबंधित अनुदान संख्या-15 के राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम, 200-अन्य कार्यक्रम, 03-सैनिक कल्याण के अन्तर्गत विभिन्न मदों में उपलब्ध कुल प्राविधानित धनराशि रू0 3871.64 लाख (रू0 अड़तीस करोड़ इकहत्तर लाख चौसठ हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि रू0 2174.44 लाख (रू0 इक्कीस करोड़ चौहत्तर लाख चवालीस हजार मात्र) को संलग्न एलोटमेन्ट आई0डी0 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में वित्त विभाग के संगत शासनादेश में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-234/3(150)-2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019 एवं शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28 मार्च, 2012 तथा तत्क्रम में समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. अवचनबद्ध मदों में व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।
3. वित्तीय वर्ष में प्राविधानित धनराशि की फेंजिंग (त्रैमास के आधार पर) अनिवार्य रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
4. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसी मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अंतर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
5. यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाए कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के प्रत्येक बिल में चाहे वह वेतन आदि के संबंध में हो अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, सम्पूर्ण मुख्य/लघु/उप तथा विस्तृत शीर्षक को अंकित किया जाए और

प्रत्येक बिल में दाहिनी और लाल स्याही से अनुदान संख्या-15 तथा राजस्व शब्द स्पष्ट लिखा जाए, अन्यथा महालेखाकार, कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी।

6. संलग्नक में वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिये यह भी सुनिश्चित कर लें कि धनराशि परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए। आवंटन एवं व्यय की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाए।
7. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-234/3(150)-2017/XXVII(1)/2019, दिनांक 29 मार्च, 2019, के प्रस्तर-11 एवं प्रस्तर-21 के दिशा-निर्देशानुसार ही प्राविधानित/अवशेष धनराशि की मांग की जानी सुनिश्चित की जाय।
8. मितव्ययता के संबंध में नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
9. यदि किसी अधिष्ठान/योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त धनराशि की मांग आवश्यक हो तो, उसका औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. अप्रयुक्त धनराशि वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों के अंतर्गत समय-सारिणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
11. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन अपने एवं अधीनस्थ स्तरों पर भी सुनिश्चित करें।
12. बी0एम0-08 पर संकलित मासिक सूचनाएं नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
13. उक्त स्वीकृत रू0 2174.44 लाख (रू0 इक्कीस करोड़ चौहत्तर लाख चवालीस हजार मात्र) का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार एलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या-S19040150008, S19040150009, S19040150010, S19040150011, S19040150012, S19040150013, S19040150014, S19040150015, S19040150016, S19040150017, S19040150018, दिनांक 22 अप्रैल, 2019 एवं एलोटमेन्ट आई0डी0 संख्या-S19040150019, दिनांक 23 अप्रैल, 2019 द्वारा जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।


भवदीय,

(भूपाल सिंह मनराल)
प्रभारी सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 593 (1)/XVII-5/2019-03(01)/2019 : तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग), उत्तराखण्ड शासन।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
अपर सचिव।